न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 06 / 2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
पूनाराम, तत0 अति0 चार्ज, भू0अ0निरीक्षक, रोहिणा, हाल– भू0अ0निरीक्षक, घंटियाली, तहसील, बाप, जोधपुर		जिला कलेक्टर,(भू0अ0) जोधपुर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश कंमाक भू0अ0 / स्था / 2020 / 8541 दिनांक 13.10.2020 को पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलान्ट की तीन वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया।

उपस्थितिः––

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, बाप, अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः .जुलाई,2021

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत अपीलान्ट की दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 25.01.2021 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जोधपुर से अपील पर टिप्पणी एवं उनके कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. अपीलान्ट कार्मिक को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में भू0अ0 निरीक्षक, घंटियाली तहसील बाप, जिला जोधपुर के पद पर माह अक्टूबर, 2013 से कार्यरत है। अपीलार्थी के अतिरिक्त धारित चार्ज भू0अ0निरीक्षक, रोहिणा के पद पर कार्यरत रहने के दौरान अपीलार्थी पर जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर के पत्रांक 11093 दिनांक 4.10.2019 को यह आरोप आरोपित किया गया किः––

''यह है कि आप श्री पूनाराम, भू0 अ0 निरीक्षक वृत रोहिणा (अतिरिक्त चार्ज) में दिनांक अक्टूबर 2013 से आदिनांक तक कार्यरत है, आपके अधीन पटवार हल्का चाम्पासर के सम्वत 2073, 2074, 2075 के लिये आदान अनुदान राषि पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई सूचियों के अनुसार स्वीकृति की गई थी। बाद में इन सूचियों का किसानों द्वारा विरोध किया गया एवं जॉच नायब तहसीलदार घंटियाली से करवाई गई तो पात्र किसानों का नाम सूची में दर्ज करने से वंचित रह गया जिनकी संख्या एक ही पटवार मण्डल में 50 से अधिक थी। इतनी अधिक संख्या में किसानों का गबन की मंषा को दर्षाता है। आप द्वरा पटवारी हल्का द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचियों की ना तो किसी प्रकार की रेण्डमली जॉच करवाई गई न किसी दूसरी तरह से सत्यापन करवाया गया, बिना किसी आधार के ही आप द्वारा प्रमाणीकरण कर दिया गया जिस कारण से गलत सूचियॉ भुगतान बाबत स्वीकृत हो गई। इन सबसे यह सिद्ध होता है कि आप राजकीय कर्तव्य अधिनस्थ हल्का पटवारियों के पर्यवेक्षण के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। ये कृत्य घोर लापरवाही एवं अनुषासनहीनता की श्रेणी में आता है। जिसके लिये आप दोषी है। आपका उक्त कृत्य दण्डनीय एवं निन्दनीय है।

4. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि के द्वारा उक्त ज्ञापन/नोटिस का प्रत्युतर दिनांक 16.09.2020 को जरिये कार्यालय तहसीलदार, बाप के मार्फत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर को प्रस्तुत कर आरोप को अस्वीकार करते हुए मेरे विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करावें। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट के कथनों पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 के द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलान्ट की तीन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डात्मक आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा ग्राम पंचायत, रोहिणा के लिये सम्वत 2074 से 2075 में जो आदान–अनुदान सूची तैयार की गई, उसमें 50–60 कृषकों के नाम दोहरी प्रविष्ठि हुई, किन्तु यह दोहरी प्रविष्ठि तत्कालीन पदस्थापित पटवारी हल्का की मिलीभगत से व बदनियती पूर्ण हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग इन कृषकों के घर ग्राम पंचायत रोहिणा की सरहद पर बने हुए है व इनके सभी परिवार वाले ग्राम पंचायत बूंगडी, चाम्पासर आदि में भी रहते है। ये कृषक परिवार सुविधानुसार अपना आवास दोनों जगह रखते है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि तत्कालीन पदस्थापित पटवारी हल्का के द्वारा जो सूची बनाई गई, तब इनका निवास रोहिणा की सरहद में था, किन्तु कुछ समय बाद ग्राम में पेयजल की समस्या होने के कारण इन्होंने अपना आवास पडौस के ग्राम में जाकर कर लिया/बदल दिया। तत्कालीन पदस्थापित पटवारी

हल्का बूंगडी ने सदभावनापूर्ण उनके नाम वहॉ भी दर्ज कर लिये। मुझ अपीलान्ट कार्मिक को जब इस तथ्य की जानकारी हुई तो अपीलान्ट द्वारा लगातार 20–25 दिन का कैम्प कर उन लोगों को समझाईश कर अनुदान राशि रूपये 3,71,200/– की वसूली कर राजकोष में जमा करवाई। ऐसे में अगर अपीलान्ट की उक्त लाभान्वितों के साथ किसी प्रकार की मिलीभगती होती तो वह उनसे दोहरें रूप में जारी हुई उक्त राजकीय राषि की वसूली क्यों करवाता। इस प्रकार मुझ प्रार्थी द्वारा अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा एवं लग्न से किया गया है। आरोपित आरोप में झूठे एवं मिथ्या तथ्यों के आधार अंकित किये गये है जिसके आधार पर अपीलान्ट को बिना किसी उचित कारण के दोषी मान लिया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया अपीलान्ट कार्मिक पिछले 5–6 वर्षो से भंयकर रूप से लकवाग्रस्त रहा हैं एवं आज भी केवल दवाईयों के सहारे जी रहा है। फिर भी अपीलान्ट कार्मिक के द्वारा अपनी ओर से किसी भी प्रकार से राजकार्य में लापरवाही या अनुशासनहीनता नहीं बरती गई है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासत्मक कार्यवाही में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब को कन्सीडर न करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट की तीन वार्षिक वेतनवृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित कर दिया, जो आनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक दिया गया है।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया जाना कि अपचारी भू0अ0निरीक्षक यानि अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए व्यक्तिगत रूप से सुना गया तथा उनके प्रस्तुत प्रत्युतर का अवलोकन किया गया, ये तथ्य तो सही है। परन्तु जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट के कथनों एवं प्रत्युतर को न तो कन्सीडर किया और न ही अपीलाधीन आदेश में उसका कोई विश्लेषण किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर उचित एवं सही नही है। ऐसे में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को दोषी माने जाने का जो आधार अंकित किया गया है, वह प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों व विधि के विपरित है। जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा मात्र सपोजिशन, सरमाईजेज के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है,।

9. अपीलान्ट ने अन्त में यह निवेदन किया कि जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट की तीन वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दिये जाने पर उसे राजकीय सेवा में दोहरी हानि यानि आर्थिक एवं पदौन्नति सम्बन्धी परिलाभों से भी वंचित होना पडेगा। जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष अपीलान्ट पर आरोपित किये गये आरोप में किसी प्रकार का विपरित आचरण या उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने बाबत कोई तथ्य मौजूद नहीं थे। अपीलार्थी पर अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति अथवा उच्चाधिकारियों के निर्देषों की अवहेलना किये

जाने सम्बन्धी पूर्व में कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई है और न ही राजकीय सेवा दूषित रही है। अतः करबद्ध निवेदन है कि उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जावे एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश 13.10.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावें तथा अपीलान्ट की असंचयी प्रभाव से रोकी गई तीन वार्षिक वेतनवृद्धि को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

10. अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा यह टिप्पणी प्रेषित की गई कि अपीलान्ट भू0अ0 निरीक्षक के पद पर रहते हुए अधीनस्थ हल्का पटवारियों के पर्यवेक्षण के प्रति बिल्कूल गंभीर नहीं थे। तथा सम्वत 2074 व 2075 के लिये आदान–अनुदान सूचियों में अंकित किये गये लाभार्थियों की रेन्डमली जॉच नहीं करवाई गई। ना0 तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट में फर्जी नामों एवं फर्जी खाता संख्या का अंकन किया जाना पाया गया, उक्त अनुदान सूचियों की जॉच किया जाना उनका पदीय दायित्व था। नायब तहसीलदार घंटियाली की जॉच रिपोर्ट दिनांक 02.08.2009 के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध जॉच में अपीलान्ट दोषी पाये गये है। अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश जारी किया गया हैः अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज फरमाया जावें।

11. हमने अपीलान्ट के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया तथा अपील/उपलब्ध दस्तावेजों, प्राप्त टिप्पणी इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष आरोपित किये गये आरोप के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्युतर में दर्शाये गये तथ्यों का जिला कलेक्टर की ओर से किसी प्रकार से खण्डन अथवा विश्लेषण/कन्सीडर नहीं किया गया है एवं यह भी नहीं दर्शाया गया कि अपीलान्ट के प्रत्युतर अनुसार लाभान्वितों को दोहरी भुगतान राशि की वसूली कार्यवाही की गई थी, वह कार्यवाही उचित रही अथवा नहीं।

12. इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। अपीलान्ट भू0अ0निरीक्षक के द्वारा पटवारी, पटवार हल्का चाम्पासर की ओर से ग्रामीणों/लाभान्वितों की तैयार की गई सूची एवं दोहरे रूप में की गई प्रविष्टी के आधार पर उन व्यक्तियों को दोहरी भुगतान हुई आदान–अनुदान राशि के सम्बन्ध में जानकारी होने पर उनके द्वारा लाभान्वितों से सम्पर्क करते हुए अधिक भुगतान राशि की वसूली की जाना भी प्रतीत होता है। अपीलान्ट भू0अ0निरीक्षक ने पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई सूची की गहनता से जॉच करने एवं अपने पद के अनुरूप पदीय पर्यवेक्षण में अवश्य ही थोडी ढिलाई बरती है परन्तु उनकी बदनियती दर्शित नहीं होती है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने, उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त इस निश्कर्ष पर पहुंचे है कि जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन

आदेश जो आनुपातिक दृष्टि से अधिक दिया हुआ प्रतीत होता है, उसको यथावत बहाल रखा जाना उचित नहीं होगा।

13. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील आशिंक स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2020 को इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि अपीलान्ट की तीन वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है। निर्णय आज दिनांक .07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर